विधि विभाग

क्रम सं0	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम सेवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का नाम
1.	2.	3.	4.	5.
1.	विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आम जनता को विधिक सेवा संबंधी प्रदत्त सुविधाओं एवं योजनाओं से संबंधित शिकायत	निः शुल्क विधिक सहायता।	**(1). विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन विधिक सेवा देने के लिए मानदंड**–प्रत्येक व्यक्ति, जिसे कोई वाद दाखिल करना है या उसमें प्रतिरक्षा करनी है, इस अधिनियम के अधीन विधिक सेवा का हकदार होगा, यदि ऐसा व्यक्तिः– (क) .अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य। (ख) संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव के तस्करी या बेगार का शिकार है। (ग) स्त्री या बालक है। (घ) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (न) में परिभाषित निःशक्त व्यक्ति है) (ड़) अनचाहे अभाव की दशाओं के अधिन व्यक्ति है, जैसे, आपदा, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक संकट का शिकार है, या (च) औद्योगिक कर्मकार है या (छ) अभिरक्षा में है, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 (1956 का 104) की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी संरक्षण गृह में, या किशोर न्यायालय अधिनियम, 1986 (1986 का 53) की धारा 2 के खंड (ञ) के अर्थ में किसी किशोर गृह में, या मानसिक स्वास्थ अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थ में किसी मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में ही अभिरक्षा भी है, या (ज) यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो नौ हजार रूपये से या ऐसी अन्य उच्चतर रकम से जो राज्य सरकार से विहित की जाय कम और यदि मामला न्यायालय के समक्ष है तो बारह हजार रूपये से या ऐसी अन्य उच्चतर रकम से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, कम वार्षिक आय के रूप में प्राप्त कर रहा है।	अनुमंडल विधिक सेवा समिति। जिला विधिक सेवा प्राधिकार। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति।

			(2.) बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, (संसोधन) विनियमावली 2017 की नियम 19 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो बिहार का एक सद्भावी निवासी है तथा जिसे किसी सिविल, दांडिक या राजस्व न्यायालय में सा किसी अधिकरण, किशोर न्याय बोर्ड, उपभोक्ता मंच या किसी अन्य न्यायिक या अर्द्धन्यायिक प्राधिकर के समक्ष कोई मामला दाखिल करना है या उसका बचाव करना है, विधिक सेवा का हकदार होगा, यदि वह व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन विधिक सेवाओं का हकदार है या वहः– (क) एक किन्नर है या (ख) एक वरीय नागरिक या (ग) एच0आई0वी0 से संक्रंमित या किसी प्रकार के कैंसर से ग्रस्त व्यक्ति या (घ़) असंगठित क्षेत्र का एक कर्मकार या (ड़) तेजाब हमले का पीड़ित व्यक्ति या (च) ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 1,50,000/–रूपये से अधिक नहीं है या जो समय–समय पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली,1996 के नियम 16 के अधीन समय–समय पर नियत किया जाए या (छ) आय की सीमा होते हुए भी, विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकार या राज्य प्राधिकार निम्नलिखित मामला में विधिक सहायता प्रदान कर सकेगा– (i) अति सार्वजनिक महत्व के मामले में (ii) ऐसे मामले में, जिसके निर्णय से समाज के कमजोर तबके से संबंधित अधिकाधिक व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो (iii) किसी अन्य मामले में, जिसमें, अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों से, कोई व्यक्ति विधिक सहायता का हकदार हो।	